भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

(24)

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

केम्प– भोपाल (म.प्र)

निगरानी – 4393/2018/भोपाल/भू.रा. प्रकरण क्रमांक /

नरेन्द्र सिंह आ. श्री राम सिंह

आयु वयस्क, निवासी– ग्राम बावड़ियाकलां,

तहसील हुजूर जिला भोपाल ------- निगरानीकर्ता

आवेदक अभिभावक श्री महेन्द्र सिंह कौशल द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 28/6/18

विरूद्ध

1. श्रीमती सीतारानी शर्मा पत्नि श्री आर.के.शर्मा
   आयु वयस्क, निवासी– म.नं. 19, स्टेट बैंक कालोनी,
   जोन–2, एम.पी.नगर, भोपाल
2. श्री नरेश कुमार शर्मा (मृतक)
   आ. श्री भगवतराम शर्मा द्वारा वारिसान
   कुशलेश शर्मा आ. स्व. श्री नरेश कुमार शर्मा
   निवासी– 75, भवानी नगर, इन्द्रपुरी,
   अंजता काम्पलेक्स के पास, भोपाल ------ अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता

महोदय,

सेवा मे, निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि:–

यह कि न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा अपील क्रमांक 154/अपील/2016–17 श्रीमती सीतारानी व अन्य विरूद्ध नरेन्द्र सिंह मे पारित आदेश दिनांक 16/05/2018 से क्षुब्ध व असंतुष्ट होकर प्रकरण के तथ्य व ठोस आधारो पर उक्त निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम बावड़ियाकलां, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अनावेदकगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 09/07/1992 के आधार पर नामांतरण करने संबंधी आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार टी.टी.नगर वृत्त, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो

निरंतर 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4393/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	अनावेदकगण के अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार प्रजापति उपस्थित । आवेदक अभिभाषक दिनांक 31-7-2018 को प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत करने के उपरांत लगातार एक वर्ष से भी अधिक समय से अनुपस्थित हैं । आवेदक अभिभाषक को तीन बार पुकार लगवाई किन्तु आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अत: प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	